बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
।। आदेश ।।

संचिका संख्या–06/वि० 09–182/2023..... पटना, दिनांक.....

विभागीय पत्रांक 61 दिनांक 09.02.2017 द्वारा गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चैनपुर को मध्य विद्यालय, सलोना में संविलियन किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 998 दिनांक 07.08.2026 द्वारा गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चैनपुर जिसका वर्तमान में भूमि उपलब्ध है एवं भवन निर्माण किया जा चुका है, उसे संविलियन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विभागीय निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1399 दिनांक 22.10.2026 द्वारा प्रस्तावित विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए संविलियन से मुक्त करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में समीक्षोपरांत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, चैनपुर जिसका भवन निर्माण कराया जा चुका है, को मध्य विद्यालय, सलोना से (शिक्षक इकाई सहित) संविलियन से मुक्त किया जाता है।

शिक्षा विभाग के पत्रांक 942 दिनांक 21.02.2018 में विहित प्रावधान के आलोक में संविलियन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई को निरस्त किए जाने तथा संविलियन से मुक्त किए जाने की समुचित आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

उपरोक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–06/वि० 09–182/2023...2016. पटना, दिनांक ...03/11/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग एवं सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/11/26

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।